रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2001/चैत्र 13, 1923
No. 164 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2001/CHAITRA 13, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अधिनियम, 2000 (2000 का पंजाब अधिनियम सं. (9) का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1 समस्त अधिनियम में, —

(क) ''पंजाब राज्य'' और ''राज्य'' शब्दों के स्थान पर, वृहत् नाम के सिवाय जहां जहां वे आते हैं, ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा।

(ग) ''पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948'' शब्दों और अंकों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 1 की उपधारा (1) में, ''स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अधिनियम, 2000'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अधिनियम, 2000'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 2 में,—

(क) खंड (क) में पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(कक) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ''संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक'' अभिप्रेत है''।

(ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(च) ''स्थानीय क्षेत्र'' से यथास्थिति ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित नगर निगम की सीमाओं के भीतर कोई क्षेत्र या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अधीन कोई पंचायत क्षेत्र अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण'' अभिप्रेत है''।

4. धारा 3 की उपधारा (4) में, ''नगर पालिका समिति'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 13 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/8/2000-यूटीएल]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपबंध

स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अधिनियम, 2000
(2000 का पंजाब अधिनियम सं. 9)
पंजाब राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग या उपयोग अथवा विक्रय के लिए अनुसूचित माल के प्रवेश पर कर उद्ग्रहण करने, का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में पंजाब राज्य की विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो :-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अधिनियम, 2000 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएं - (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "उपसाधन" से कार, एयर कंडीशनर म्यूजिक सिस्टम और किसी मोटर यान में फिट की गई कोई अन्य वस्तु तथा जो मोटरयानों के माल बीजक में सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "व्यौहारी" में यदाकदा व्यौहार करने वाला व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जो कारबार के अनुक्रम में स्वयं के लिए या अपने मालिक के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल को लाता है या मंगवाता है अथवा परिदान लाता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर अनुसूचित माल का परिदान लेने का हकदार है ;

(घ) "उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी" से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया राज्य सरकार का कोई उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पंजाब राज्य के बाहर किसी स्थान से, किन्तु न कि भारत संघ के क्षेत्र के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल उपभोग के लिए, उपयोग के लिए अथवा विक्रय के लिए, स्थानीय क्षेत्रों के भीतर लाता है या मंगवाता है ;

(च) "स्थानीय क्षेत्र" यथास्थिति, पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित किसी नगर पालिका या पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अधीन स्थापित किसी नगरपालिका या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अभिसूचित क्षेत्र समिति या किसी छावनी बोर्ड या पंजाब पंचायत राज्य अधिनियम, 1994 अथवा

किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी पंचायती क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) "मोटरयान" से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (2ख) में यथापरिभाषित कोई मोटरयान अभिप्रेत है और जिसमें कोई मोटरकार, मोटर टैक्सी कैब, मोटर साईकिल, मोटर साईकिल संयोजन, मोटर स्कूटर, मोटरेट, मोटर ओमनीबस, मोटर वैन,मोटर लॉरी और किसी मोटर यान की चेसीस और बॉडी या टैंकर बिल्ट या मोटर यान की चेसीस पर बनाने के लिए टैंकर बिल्ट सम्मिलित है किन्तु जिसमें ट्रैक्टर चाहे वह पहियों पर हो या ट्रैक पर हो सम्मिलित नहीं है ;

(ज) "यदाकदा व्यौहार करने वाला व्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारबार के अनुक्रम में स्वयं के लिए या अपने मालिक के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल को लाता है या मंगवाता है अथवा परिदान लाता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर अनुसूचित माल का परिदान लेने का हकदार है ;

(झ) "व्यक्ति" में कोई कंपनी या व्यष्टि संगम या निकाय सम्मिलित है चाहे व निगमित हो या नहीं और इसमें हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई सोसायटी, क्लब, कोई व्यष्टि, कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई राज्यक्षेत्र, केन्द्रीय सरकार या कोई संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "अनुसूचित माल" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य" से पंजाब राज्य अभिप्रेत है ;

(ड) "कर" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर अभिप्रेत है ;

(ढ) "अधिकरण" से पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है; और

(ण) "अनुसूचित माल का मूल्य" से वह क्रयमूल्य अभिप्रेत है जिस पर किसी व्यक्ति ने अनुसूचित माल को क्रय किया है, जिसमें उसके द्वारा परिवहन, पैक करने, भेजने और हैंडलिंग करने पर उसके द्वारा वहन की गई लागत, प्रभार, कमीशन, बीमा कर, शुल्क और उसी प्रकार के अन्य कर सम्मिलित है या यदि ऐसे माल को उसके द्वारा क्रय नहीं किया गया है तथास्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल का प्रचालित बाजार मूल्य सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम मे प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ है जो पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 के अधीन उनके हैं ।

(3) आपात और कर का उदग्रहण - (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल के प्रवेश पर उनके उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए ऐसी दरों पर कर का उदग्रहण किया जाएगा जो पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 के अधीन ऐसे मामल के लिए उपबंधित है :

परन्तु मोटरयान और उसके उपसाधनों की दशा में, स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पंद्रह दिन के भीतर या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन से पूर्व इसमें से जो भी पहले हो ऐसी रीति में, किसी आयातकर्ता द्वारा कर संदेय और संदत्त किया जाएगा जो विहित की जाए :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी मोटरयान की बाबत कोई कर उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं किया जाएगा जो किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंद्रह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए, उस तारीख से पूर्व जिसको यह मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजाब राज्य में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल पर कोई कर ग्रहीव नहीं किया जाएगा यदि कर पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा संदेय है ।

(3) कर किसी निकटतम सूचना संग्रहण केन्द्र या पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित जांच चौकी पर राज्य में अनुसूचित माल के प्रवेश पर किसी आयातकर्ता द्वारा संदेय और संदत्त किया जाएगा ।

(4) कर,चुंगी कर, यदि कोई हो, के रुप में नगर निगम, नगर पालिका समिति, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उनके स्थानीय क्षेत्रों के भीतर उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के अतिरिक्त होगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की राशि, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए होगी जो साधारण विक्रय कर या केन्द्रीय विक्रय कर से संबंधित विधि के अधीन जो किसी अन्य राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त हो, किसी आयातकर्ता द्वारा संदत्त की गई हो, कम की जाएगी जो कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है और उसने उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए उस राज्य में इस माल का क्रय किया है ।

4. अनुसूचित माल का रोका जाना और उस पर शास्ति का उद्ग्रहण - (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी व्यक्ति, कर का संदाय करने में असफल रहता है तो उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लोकबद्ध करने पर, ऐसे माल को रोके जाने का आदेश पारित कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित माल को ले जाने वाला व्यक्ति, कर का संदाय करने में जानबूझकर असफल हुआ है तो वह उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, अतिरिक्त, कर की राशि से दो गुणा से अनधिक की राशि की शास्ति का संदाय करने का निदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रोके गए मा ल को,यथास्थिति, कर या शास्ति के वसूली के पश्चात् छोड़ दिया जाएगा।

(4) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, कर या शास्ति की राशि का, आयातकर्ता द्वारा, कर या शास्ति का उदग्रहण करने वाले आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी, को माल को विहित रीति में लोक निलामी द्वारा विक्रय करने की शक्ति होगी। कर और शास्ति की वूसली के पश्चात् शेष राशि यदि कोई हो, निलामी पर हुए व्यय की कटौती करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।

(5) कर का संदाय - कर का ऐसी रीति में संदाय और वसूली की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) अपील - (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक माल आदेश से धारा 7 के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी।

(2) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में कोई आदेश पारित किया जाता है तो दूसरी अपील अधिकरण को की जाएगी।

(3) अपील प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी अपील की सुनवाई नहीं की जाएगी यदि यह उस आदेश की सूचना की तारीख से जिसके विरुद्ध यह है, साठ दिन के भीतर फाइल नहीं की जाती है।

(4) ऐसे नियमों और कार्यवाहियों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए कोई अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो यह सही और उचित समझे ।

7. अपील प्राधिकारी राज्य सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को जो अधिसूचना में विहित किए जाएं, सौंप सकेगी।

भूल सुधार

8 (1) उत्पादक शुल्क और करादन अधिकारी, स्वंय के द्वारा पारित किसी आदेश की तारीख से दो वर्षों के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर अभिलेख में किसी दृश्यमान भूल का सुधार कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसी भूल सुधार तब नहीं की जाएगी जब यदि इससे कर में वृद्वि या प्रति दाम राशि में कटौती प्रभावित होती हो और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ने ऐसे व्यक्ति को अपने आशय का लिखित में ऐसा करने की सूचना न दे दी हो और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंध अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा भूल सुधार करने को इस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उत्पादन शुल्क और करादान अधिकारी द्वारा भूल सुधार को लागू होते हैं।

कर का प्रतिदाय

9. पंजाब साधारण विक्रय कर 1948 में यथाउपबंधित प्रतिदाय के उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के अधीन प्रतिदाय से संबंधित मामलों में लागू होंगे।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

10. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अपने आशय के ऐसा करने के बीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् अनुसूची में किसी माल को अधिसूचना द्वारा जोड़ सकेगी या हटासकेगी और तदुपरि अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

11. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

परन्तु यदि राज्य सरकार के द्वारा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम के अधीन जाने वाले किसी नियम के पूर्व प्रकाशन की शर्त को हटा सकेगी।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संग्रहण केन्द्र और जांच चौकी

12. पंजाब साधारण विक्रय कर 1948 के अनुबंधों के अधीन स्थापित यथास्थिति सूचना संग्रहण केन्द्र या जांच चौकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यक रुप से स्थापित की गई समझी जाएगी।

13 (1) स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पंजाब कर अध्यादेश 1999 (पंजाब अध्यादेश संख्या 9) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किसी बात या कार्रवाई को इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची
(धारा 10 देखिए)

1. एयरकंडीशनर
2. कालीन
3. सीमेंट
4. डिश वाशिग मशीन
5. फर्नीचर
6. फरनेस आयल
7. मार्बल और ग्रेनाइट
8. मोटर यान
9. पेंटस
10. रेफ्रिजरेटर
11. रबर फोम
12. स्वच्छता का सामान
13. इमारती लकड़ी
14. टायर और ट्यूब
15. वाशिंग मशीन

एस0एस0 ग्रेवाल
सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग
पंजाब सरकार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2001

G.S.R 243(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000 (Punjab Act No. 9 of 2000) as in force in the State of Punjab on the date of this Notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,—

(a) For the words "State of Punjab" and "State" wherever they occur, except in the long title, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

(b) For the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted

(c) For the words and figures, "The Punjab General Sales Tax Act, 1948", wherever they occur, the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948 as applicable to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In section 1, in sub-section (1) for the words, brackets and figures "the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000", the words, brackets and figures "the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000 as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In section 2,—

(a) After clause (a), the following shall be inserted, namely :—

"(aa) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory appointed by the President under article 239 of the Constitution".

(b) For clause (f), the following shall be substituted, namely :—

" (f) "Local Area" means an area within the limits of the Municipal Corporation established under the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 as extended to the Union Territory of Chandigarh or a Panchayat area under the Punjab Panchayati Raj Act, 1994 as extended to the Union Territory of Chandigarh or any other local authority, as the case may be."

4. In section 3, in sub-section (4), the words "Municipal Committee" shall be omitted.

5. Section 13 shall be omitted.

[F. No. U-11015/8/2000-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE PUNJAB TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS, ACT, 2000

(Punjab Act No. 9 of 2000)

AN

ACT

to provide for the levy of tax on entry of scheduled goods into the local areas of the State of Punjab for consumption or use or sale therein.

Be it enacted by the legislature of the State of Punjab in the Fifty-one Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement:—(1) This Act may be called the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000

(2) It shall come into force at once

2. Definitions:—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "accessories" means the car air-conditioner, music system and any other article fitted to a motor vehicle and which is not included in the original invoice of the motor vehicles,

(*b*) "Appellate Authority" means an Appellate Authority appointed under section 7 of this Act,

(*c*) "dealer" includes occasional dealer or any person, who in the course of business whether on his own account or on account of his principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any scheduled goods or takes delivery or is entitled to take delivery of scheduled goods on its entry into a local area,

(*d*) "Excise and Taxation Officer" means an Excise and Taxation Officer of the State Government or any other officer appointed as such by the State Government,

(*e*) "importer" means a person who brings or cause to be brought scheduled goods into a local area from any place outside the State of Punjab, but not from a place, outside the territory of Union of India, for consumption, use or sale within the local area ,

(*f*) "local area" means an area within the limits of a Municipal Corporation established under the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 or a Municipality established under the Punjab Municipal Act, 1911 or a Notified Area Committee or a Cantonment Board constituted or continued under any law for the time being in force or a Panchayat area under the Punjab Panchayati Raj Act, 1994, or any other local authority, as the case may be,

(*g*) "motor vehicles" means a motor vehicle as detained the clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 and includes a motor car, motor taxi cab, motor cycle, motor cycle combination, motor scooter, motorette, motor omnibus, motor van, motor lorry and a chasis of a motor vehicle and body or tanker built or meant for mounting on chassis of motor vehicle, but excludes tractors whether on wheels or on tracts,

(*h*) "Occasional dealer" means a person who, in the course of occasional transactions of business, whether on his own account or on account of his pricipal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any scheduled goods or takes delivery or is entitled to take delivery of scheduled goods on its entry into a local area ,

(*i*) "person" includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not, and also a Hindu Undivided Family, a firm, a society, a club, an indrvidual, a local authority or any State Government, the Central Government or any Union Territory,

(*j*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act,

(*k*) "scheduled goods" means the goods specified in the Schedule appended to this Act,

(*l*) "State" means the State of Punjab,

(*m*) "tax" means a tax payable under this Act,

(*n*) "tribunal" means the Tribunal constituted under section 3-A of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, and

(*o*) "value of the scheduled goods" means the purchase price at which a person has purchased the scheduled goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling charges, commission, insurance taxes, duties and the like, or if such goods have not been purchased by him, the prevailing market price of such goods in the local area

(*2*) Words and expressions used, but not defined in this Act shall have the same meanings as assigned to them under the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

3. Incidence and levy of tax:—(*1*) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, there shall be levied a tax on the entry of the scheduled goods into a local area for consumption, use or sale therein at such rates, as are provided for such goods under the Punjab General Sales Tax Act, 1948 :

Provided that in the case of a motor vehicle and its accessories, the tax shall be payable and paid by an importer within fifteen days of its entry into the local area or before an application is made for registration of the moter vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988, whichever is earlier, in the manner as may be prescribed:

Provided further that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle, which has been registered in any other State or Union Territory under the Motor the Vehicles Act, 1988 for a period of fifteen months or more, before the date on which it is registered in the State of Punjab under the Motor Vehicles Act, 1988.

(*2*) Notwitstanding anything contained in sub-section (*1*), no tax shall be levied on the scheduled goods under this Act, if the tax is payable under the provisions of the Punjab General Sales Tax Act, 1948 by a registered dealer.

(*3*) The tax shall be payable and paid by an importer at the nearest information collection centre or check post established under the Punjab General Sales Tax Act, 1948, on entry of the scheduled goods into the State

(*4*) The tax shall be in addition to the tax levied and collected as octroi, if any, by Municipal Corporation, Municipal Committee or any other local authority, as the case may be, within its local areas

(*5*) The amount of tax payable under this Act, shall subject to such conditions, as may be prescribed, be reduced to the extent of the amount of the tax paid, if any, under the law relating to the General Sales Tax or Central Sales Tax, as may be inforce, in any other State or Union Territory, by an importer, who, not being a registered dealer, had purchased these goods in that State for consumption use or sale.

4. Detention of scheduled goods and levy of penalty:—(*1*) If a person liable to pay tax under this Act, fails to pay the tax, the Excise and Taxation Officer, after hearing the said person and for the reasons to be recorded in writing, may order detention of such goods.

(*2*) If the officer referred to in sub-section (*1*), is satisfied that the person carrying the scheduled goods, wilfully failed to pay the tax, he may after giving the person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty in addition to the tax payable, a sum not exceeding twice the amount of tax.

(*3*) The goods detained under sub-section (*1*), shall be released after the recovery of the tax or penalty or both, as the case may be.

(*4*) If the amount of tax or penalty, as the case may be referred to in sub-section (*3*), is not paid by the importer within sixty days from the date of the order levying tax or penalty, the officer concerned shall have the power to sell the goods by public auction in the prescribed manner. The remainder amount, if any left after the recovery of tax and penalty and after deducting the expenses on auction, shall be refundable to the person concerned.

5. Payment of Tax:—The tax shall be paid and recovered in such manner, as may be prescribed.

6. Appeal:—(*1*) An appeal from every original order passed under this Act or the rules made thereunder, shall lie to the Appellate authority appointed under section 7

(*2*) In case, an order is passed in appeal by the Appellate Authority, a second appeal shall lie to the Tribunal.

(*3*) No appeal shall be entertained by the Appellate Authority or by the Tribunal, unless it is filed within sixty days from the date of communication of the order appealed against.

(*4*) Subject to such rules and the procedure, as may be prescribed, an Appllate Authority, may pass such order, as it deems to be just and proper.

7. Appellate Authority:—The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such officers as Appellate Authority for the purpose of this Act and may assign to them such local area or areas, as may be specified in the notification.

8. Rectification of mistakes.—(*1*) The Excise and Taxation Officer may, at any time within two years from the date of any order passed by him, on his own motion or on the application of any person affected by such order, rectify any mistake apparent from the record:

Provided that, no such rectification shall be made, if it has the effect of enhancing the tax or reducing the amount of refund unless the officer referred to in sub-section (*1*), has given notice in writing to such person of his intention to do so and has allowed such person a reasonable opportunity of being heard.

(*2*) The provisions of sub-section (*1*), shall apply to the rectification of a mistake by an Appellate Authority or the Tribunal under this Act as they apply to the rectification of a mistake by the Excise and Taxation Officer.

9. Refund of Tax:—All provisions of refund as provided in the Punjab General Sales Tax Act, 1948, shall *mutatis mutandis* apply to cases relating to the refund under this Act.

10. Power to amend the Schedule:—The State Government after giving by notification not less than twenty days' notice of its intention so to do, may by notification add to or delete from the Schedule any goods and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

11. Power to make rules:—The State Government may, by notification in the Official Gazette, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Provided that, if the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action, if may dispense with the condition of previous publication of any rule to be made under this Act.

12. Information collection centres or check posts for the purposes of this Act:—The information collection centres or check posts or both, as the case may be, established under the provisions of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, shall be deemed to be duly established for the purposes of this Act.

13. Repeal and Savings:—(*1*) The Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Ordinance, 1999 (Punjab Ordinance No. 9 of 1999) is hereby repealed.

(*2*) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (*1*), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE

(*See section 10*)

1 Air Conditioners
2. Carpets
3. Cement
4 Dish Washing Machines
5 Furniture
6 Furnace Oil
7. Marble and Granite
8. Motor Vehicles
9. Paints
10 Refrigerators
11. Rubber foam
12. Sanitary Goods
13. Timber
14. Tyres and Tubes
15. Washing Machines

S. S. GREWAL,
Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001